




**भारतीय  
प्रौद्योगिकी  
संस्थान**

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



**INDIAN  
INSTITUTE OF  
TECHNOLOGY**  
BANARAS HINDU UNIVERSITY

फ़ोन: दूरभाष (0542) 2366676(कार्यालय), फैक्स: 91-542-2368428; ई-मेल: [registrar@itbhu.ac.in](mailto:registrar@itbhu.ac.in)

**कुलसचिव कार्यालय  
(राजभाषा प्रकोष्ठ)**

पत्र संख्या. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/ रा.भा.प्र./2(9)/तिमाही रिपोर्ट/ २०८४

Office of the Registrar  
(Rajbhasha cell)

दिनांक: २८.०९.२०१८

२९

1. समस्त अधिकारातागण
2. समस्त विभागाध्यक्ष/स्कूलों के समन्वयक
3. प्रभारी इकाई/केन्द्र/कार्यालय
4. समस्त आचार्य प्रभारी
5. अध्यक्ष, संस्थान निर्माण समिति
6. अध्यक्ष, कैफेटेरिया
7. अध्यक्ष, संरक्षक परिषद
8.  अध्यक्ष, वेब मैनेजमेंट एंड ईमेल सर्विसेज समिति

9. चीफ काउंसलर, जिमखाना
  10. संयुक्त मुख्य आरक्षाधिकारी
  11. समन्वयक, गांधी प्रौद्योगिकी स्नातक केन्द्र
  12. समस्त प्रशासनिक संरक्षक
  13. संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन)
  14. उप कुलसचिव (लेखा)
  15. समस्त सहायक कुलसचिव
- भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)।

**विषय-** संस्थान में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित १ जुलाई, 2018 से ३० सितंबर, २०१८ को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नीतियों के अनुपालन में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमानुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के उपरांत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजना अनिवार्य है।

अतः मुझे यह अनुरोध करने का निवेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग/स्कूल/अनुभाग/इकाई की १ जुलाई, 2018 से ३० सितंबर, २०१८ तक की हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में भरें एवं उक्त रिपोर्ट के साथ बिन्दु १ के क्रम संख्या १ से १३ में भरे गए आंकड़ों से संबन्धित दस्तावेजों की प्रति भी संलग्न कर दिनांक ०६.१०.२०१८ तक या इससे पूर्व राजभाषा प्रकोष्ठ, कुलसचिव कार्यालय को भेजने अथवा [rajbhasha@itbhu.ac.in](mailto:rajbhasha@itbhu.ac.in) पर ई-मेल करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

अंगीकृत

२९/११/८

सहायक कुलसचिव (सह-हिन्दी अधिकारी, राजभाषा) एवं  
सदस्य सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

य प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) के विभागों/स्कूलों/अनुभागों/इकाइयों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट हेतु प्रपत्र

30 सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही

**भाग - I (प्रत्येक तिमाही में धरा जाए)**

विभाग/स्कूल/अनुभाग/इकाई का नाम :

**1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात**

क्रम संख्या	कागजात का विवरण	हिंदी/ द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	योग
1.	सामान्य आदेश (General Order)			
2.	अधिसूचना (Notification)			
3.	नियम (Rule)			
4.	ज्ञापन (Memorandum)			
5.	संकल्प (Resolution)			
6.	प्रेस विज्ञप्ति (Press Communiqué)			
7.	संविदा (Contract)			
8.	निविदा (Tender)			
9.	करार (Agreement)			
10.	लाइसेंस (Licences)			
11.	परमिट (Permit)			
12.	प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (Administrative & other Reports)			
13.	संसदीय प्रश्न (Parliamentary Questionnaire)			
	कुल योग			

**2. हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (राजभाषा नियम - 5)**

प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिये गए	कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिये गए	कितनों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे

**3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिये जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)**

अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिये गए	कितनों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे
'क' क्षेत्र से		
'ख' क्षेत्र से		

'क' क्षेत्र- बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र

'ख' क्षेत्र- गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र 'ग' क्षेत्र- क और ख क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र

4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा :-

हिन्दी /द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी /द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत	हिन्दी या द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का पिछली तिमाही का प्रतिशत
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				

5. फाइलों पर हिन्दी में कार्य

तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियाँ

हिन्दी में	अंग्रेजी में	कुल संख्या

उत्तिलिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

विभाग/स्कूल/अनुभाग/इकाई के  
अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(मुहर सहित)

फोन नम्बर

नोट: कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।